न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

3/2025
सीएमएस : 2025/101

1. हरनामसिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गंगुवाला सिखान तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर। —: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। —: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

तारीख रजू:— 02.04.2025

उपस्थित अधिवक्ता:—
श्री राजेश धारणियां अधि. प्रार्थी।
राजपेरोकार सरकार अप्रार्थी।

——निर्णय—— दिनांक : 29.08.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी गंगुवाला सिखान तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का निवासी है मुझ प्रार्थी के नाम से तहसील रायसिंहनगर के चक 4 पीएसबी की जमाबन्दी संवत 2075—78 के खाता संख्या 38/34 के मु.नं. 11 व 9 की कुल 6.275 है. नहरी भूमि में से 41/251 हिस्सा यानि 1.025 है. नहरी भूमि व इसी चक के खाता संख्या 43/40 के मु.नं. 15 की कुल 1.265 है. नहरी भूमि मय खाला में से 632/1265 हिस्सा नहरी भूमि मय खाला व इसी चक के खाता सं. 74/67 के मु.नं. 2, 21, 1 की कुल 3.125 है. नहरी बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड कागजात है। उक्त भूमि तहसील रायसिंहनगर के चक 4 पीएसबी की जमाबन्दी संवत 2075—78 के खाता संख्या 38/34 के मु.नं. 11 व 9 की कुल 6.275 है. नहरी भूमि में प्रार्थी का नाम नाम सिंह व इसी चक के खाता संख्या 43/40 के मु.नं. 15 की कुल 1.265 है. नहरी भूमि मय खाला में से 632/1265 हिस्सा यानि 0.632 है. नहरी भूमि मय खाला में नाम सिंह व इसी चक के खाता सं. 74/67 के मु.नं. 2, 21, 1 की कुल 3.125 है. नहरी बारानी भूमि में हरनाम सिंह है तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा में है लेकिन सहवन से उक्त भूमि की जमाबन्दी में हरनाम सिंह की जगह नामान्तरण में नाम सिंह दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम हरनाम सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गंगुवाला सिखान तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर है प्रार्थी के आधार कार्ड, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा जारी प्रमाणण पत्र आदि में हरनाम सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गंगुवाला सिखान तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर दर्ज है प्रार्थी अपना नाम दुरूस्त करने का अधिकारी हैं। मुझ प्रार्थी द्वारा तहसील रायसिंहनगर को अपने उपरोक्त जमाबन्दी में दुरूस्ती करने हेतु कहा तो तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा जमाबन्दी में दुरूस्ती करने से इन्कार हो गया और तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा जमाबन्दी में दुरूस्ती करने से इन्कार हो गया और तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा मुझ प्रार्थी को कहा गया कि सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आने पर ही जमाबन्दी में दुरूस्ती की जा सकेगी। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह दर्ज होने के कारण के.सी.सी. ऋण आदि में परेशानी का सामना करना पड़ता है जबकि हरनाम सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गगुवाला सिखान तहसील पदमपुर करने से किसी को कोई नुकसान नहीं है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है और अन्दर मियाद है तथा पूरी कोर्ट फीस पर पेश है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 4 पीएसबी की जमाबन्दी संवत 2075—78 के खाता संख्या 38/34 के मु.नं. 11 व 9 की कुल 6.275 है. नहरी भूमि [illegible] 43/40 के मु.नं. 15 की कुल 1.265 है. नहरी भूमि मय खाला में से 632/1265 हिस्सा यानि [illegible] हिस्सा नहरी भूमि में प्रार्थी का नाम नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह के [illegible] चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गंगुवाला सिखान तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर [illegible] दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश दिये

2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को [illegible] सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने पत्र क्रमांक: भू.अ./25/4426

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ांक 16.02.2025 से मौका जांच रिपोर्ट से अवगत करवाया कि मुताबिक रिकार्ड अनुसार
ी हरनाम सिंह पुत्र चन्द सिंह जाति जटसिख साकिन गंगूवाला सिखान के नाम चक 4
स–बी के खाता संख्या 74 मु.नं. 1–2–21 में कुल 3.125 है. भूमि खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।
। चक के खाता संख्या 38 में मु.नं. 9 व 11 तथा खाता संख्या 43 के मु.नं. 15 में प्रार्थी का
। नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक रिपोर्ट हरनामसिंह पुत्र चन्दसिंह व
सिंह पुत्र चन्दसिंह जाति जटसिख साकिन गंगूवाला सिखान एक व्यक्ति के नाम है।
पके संबंध में पटवारी द्वारा घटना बही कायम की गई है। इस प्रकार खाता संख्या 38 व
में दर्ज नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह के स्थान पर नाम सिंह उर्फ हरनामसिंह पुत्र चन्द सिंह
या जाना उचित होगा।

ी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली
संलग्न पहचान दस्तावेज, प्रार्थना पत्र, आधार कार्ड, आयकर प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत का
ाण पत्र, शपथ पत्र आदि का अध्ययन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए
ात विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। भूमि धारक प्रतिवादी तहसीलदार रायसिंहनगर की
ानी मौका जांच रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह के
ान पर नाम सिंह उर्फ हरनाम सिंह पुत्र चन्द सिंह किया जाना उचित की अनुशषां की है
ात तथ्यों के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

ः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136 राजस्व भू अधिनियम
56 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में चक 4 पीएस–बी के
ाता संख्या 38/34 के मु.नं. 9 व 11 तथा खाता संख्या 43/40 के मु.नं. 15 में प्रार्थी का
म नाम सिंह पुत्र चन्द सिंह के स्थान पर नाम सिंह उर्फ हरनाम सिंह पुत्र चन्द सिंह की
रुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते है निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को
लनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता
त्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

र्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
दिनांक 9/9/25

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

क्रमांकः रीडर/2025/2037
प्रतिलिपिः–
1. तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.09.10 17:00:28 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner